

FORM No. III

App-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्थान लोक न्यायालय अजमेर
न्याय कक्ष के दर-२०१८

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रावतभाटा

..... चान्दमल बनाम जयलाल
किस्म मुकदमा प्रां.पत्र 128 CR Act नं. 125 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
<p>65/8</p>	<p>प्राचीन राज्य अन्तर्गत धारा 128 एल.भार. स.प.र. लाद जंच प्रस्तुत हुआ। द.र. रजिस्टर किया जाये। प्राची चान्दमल पिता मधु लाल जैन निवासी खोराव ने ग्राम खोराव स्थित सहायदेवरी की आराजी नम्बर 2268 रकब 0.22, 2272 रकब 0.72 की भा 2 रकब 0.94 है। की पत्थरगदी कराये जाने हेतु निवेदन किया है। उक्त आराजी प्राची के सहायदेवरी हक से द.र. रेकाटे हैं। उक्त प्राची की ग्राम खोराव स्थित आराजी नम्बर 2268 रकब 0.22 2272 रकब 0.72 की बिना किसी के फलजे से दरबलगायी विना सेटलमेंट नबसे इजुलार पत्थरगदी करके के आदेश दिए जाते हैं। पत्थरगदी रकब प्राची पहन करेगे। कमिश्नर शुल्क 200/- रुपए आधरे दो प्रां.पत्र प्राची से वसूल हो पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को निश्चय जाये कि पश्काराण को सूचित किया जाकर निगमानुसार उक्त आराजी की पत्थरगदी की जाये एवं कोई विवार हो तो पुनः चेक करे पालना प्राप्त हो। पत्रावली के लाल शुमार हेफर नम्बर से कम हो।</p>	
	<p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा</p>	